

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]	नई दिल्ली, शनिवार, जून 11—जून 17, 2016 (ज्येष्ठ 21, 1938)
No. 24]	NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 11—JUNE 17, 2016 (JYAISTHA 21, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं
सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुम्बई—400001, दिनांक 6 मई 2016

सबैविवि.केंका.बीपीडी.सं. 05/16.05.000/2015-16—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके एतद्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में “राजरामबापू सहकारी बैंक लि. पेठ, सांगली” को सम्मिलित किये जाने का निदेश देता है।

एन. एस. विश्वनाथन
कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai-400001, the 6th May 2016

DCBR.CO.BPD.No. 05/16.05.000/2015-16—In pursuance of clause (a) of Sub-Section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion of “Rajarambapu Sahakari Bank Ltd., Peth, Sangli” in the second schedule to the said Act.

N S VISHWANATHAN
Executive Director

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016
www.dop.nic.in